



सं / REGN NO: INSTM/R/2016/00003

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA

सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान

INSTITUTE OF SECRETARIAT TRAINING & MANAGEMENT

(आईएसओ 9001:2008 संस्था / AN ISO 9001:2008 INSTITUTION)

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग / DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING

प्रशासनिक ब्लॉक, ज.ने.वि. परिसर (पुराना) / ADMINISTRATIVE BLOCK, JNU CAMPUS (OLD),

ओलोफ पाल्मे मार्ग, नई दिल्ली - 110067 / OLOF PALME MARG, NEW DELHI - 110067

दूरभाष / TELEPHONE - 011-26105592; टेलीफैक्स / FAX - 011-26104183

दिनांक / Date: 16th March, 2016

To

Shri Tapeswar Singh
Plot No. 35, Indra Puram
Shakti Khand - II
Near Swaran Jyanti Park
Ghaziabad
Uttar Pradesh - 201002

Subject : Information sought under RTI Act, 2005

Sir,

Please refer to your RTI application received on 16th February 2016.

2. The response to your request is enclosed.

3. In case you are not satisfied with the above response, you may prefer an appeal before the Appellate Authority i.e., Shri Satyajit Mishra, Joint Director, ISTM, R No. 106, Administrative Block, ISTM JNU Campus (Old), Olof Palme Marg, New Delhi, email satyajit.mishra@nic.in within 30 days of the receipt of this information.

Yours faithfully

एच. गोविंद

(H. Govind)

Deputy Director & CPIO
E.Mail: govind.h13@nic.in

Encls: as above,

Institute of Secretariat Training and Management

Subject: Request of Shri Tapeswar Singh, Plot No. 35, Indirapuram, Shakti Khand II, Gaziabad, UP for information under RTI Act 2005-regarding.

Reference: INSTM/R/2016/00003

Applicant has asked the following information under RTI Act, 2005. The information is as under

क. सं.	प्रश्न	उत्तर
01.	कृपया बताएं कि Department of personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India ने कोई Recruitment Rule (RR)/Policy/ etc बनाएँ contract employee को रखने के लिए या उन्हें दि जाने वाली तमाम तरह के किसी भी प्रकार की सुविधाएँ का विस्तार से विवरण सहित बताएं व प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये और यदि नहीं तो क्यों नहीं प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।	यह प्रश्न इस संस्थान से सम्बंधित नहीं है ।
2.	कृपया बताएं कि Department of personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India ने कोई भी किसी प्रकार के Recruitment Rule (RR)/Policy/ etc date entry operator के लिए बनाएँ है। प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये और इन्हे कब-कब modify किया गया या विस्तार किया और क्यों किया विवरण सहित बताएं और प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।	यह प्रश्न इस संस्थान से सम्बंधित नहीं है ।
3.	कृपया बताएं कि Department of personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India ने Recruitment Rule (RR)/Police/etc contract employee के लिए बनाएँ हैं प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये और इन्हे कब-कब modify किया गया व किसका और क्यों विस्तार सहित बताएं और प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।	यह प्रश्न उस संस्थान से सम्बंधित नहीं है ।

4.	<p>कृपया बताएं कि Department of personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India ने कोई भी किसी प्रकार के Recruitment Rule (RR)/Policy/ etc date entry operator on contract basis के लिए बनाएँ है। प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये और इन्हे कब-कब modify किया गया या विस्तार किया और क्यों किया विवरण सहित बताएं और प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।</p>	यह प्रश्न उस संस्थान से सम्बंधित नहीं है।
5.	<p>कृपया बताएं कि Department of personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के अधीन विभिन्न विभागों/ divisions/ offices ने कोई नया Recruitment Rule (RR)/Policy/ etc बनाएँ है contract employee को स्थाई करने के लिए या उनके बारे में यदि हों तो विस्तार से विवरण सहित बताएं और प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये और यदि नहीं तो क्यों नहीं प्रतिलिपि उपलब्ध कराये। यदि कोई समय सीमा लगेगा। विस्तार से विवरण सहित बताये और प्रतिलिपि उपलब्ध कराये।</p>	लागू नहीं होता
6.	<p>कृपया बताएं कि Department of personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के अधीन विभिन्न विभागों/ divisions/ offices में कार्य कर रहे संविदा/अस्थाई (Contract Employees direct engaged by department) कार्यरत कर्मचारियों जिनकी senction post विभाग में नहीं हैं क्या उनको विभाग द्वारा minimum wages & any allowances दिया जा रहा है। यदि दिया जा रहा है और यदि नहीं दिया जा रहा है दोनों ही सूरत में प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।</p>	इस संस्थान में कोई भी कर्मचारी संविदा पर नहीं है इसलिए यह लागू नहीं होता।

7	<p>कृपया बताए कि Department of personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के अधीन विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे संविदा/अस्थाई (Contract Employees) engaged by third party/contractor कार्यरत कर्मचारियों जिनकी sanction post विभाग में नहीं हैं क्या उनको विभाग द्वारा minimum wages & anv allowances दिया जा रहा है। यदि दिया जा रहा है और यदि नहीं दिया जा रहा है दोनों ही सूत्र में प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।</p>	Same as reply given at question no 6
8.	<p>कृपया बताए कि Department of personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के अधीन विभिन्न विभागों/divisions/ offices में कार्य कर रहे संविदा/अस्थाई (Contract Employees direct engaged by department) कार्यरत कंप्यूटर ओपरेटर या डाटा इन्ट्री ओपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) को जो कि विभाग द्वारा खुद रखे गए क्या ऐसे कर्मचारी को कभी Department of personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के अधीन विभिन्न विभागों/divisions/offices विभाग द्वारा पुर्व में स्थाई (permanent) किया जा रहा है या ऐसा किसी प्रकार का Proposal/policy/file है तो विस्तार से विवरण सहित किस नियम के तहत बताएँ और प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।</p>	Same as reply given at question no 6
9	<p>कृपया बताए कि Department of personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के अधीन विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे संविदा/अस्थाई (Contract Employees direct engaged by department) कार्यरत किसी पद पर(Any post) जो कि विभाग द्वारा खुद रखे गए क्या ऐसे कर्मचारी को कभी Department of personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के अधीन कार्यरत</p>	Same as reply given at question no 6

	<p>विभाग जैसे विभागों/divisions/ offices विभाग द्वारा पूर्व में स्थाई (permanent) किया गया है। अथवा किया जा रहा है या ऐसा किसी प्रकार का Proposal/policy/file है तो विस्तार से विवरण सहित किस नियम के तहत बताएं और प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।</p>	
10	<p>कृपया बताएं कि Department of personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के अधीन कार्यरत जैसे विभागों/divisions/ offices etc किन विभागों में कंप्यूटर ओपरेटर या डाटा इन्ट्री ओपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) की Sanctioned Post नहीं है तथा उन्हें दि जाने वाले भुगतान व सुविधाएँ का विस्तार से विवरण सहित बताएं और प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।</p>	<p>ISTM में कोई भी DATA ENTRY OPERATOR की स्वीकृत पोस्ट नहीं है उनको सभी भुगतान Service Provider द्वारा दिये जाते हैं।</p>
11	<p>कृपया बताएं कि Department of personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के अधीन कार्यरत विभाग जैसे विभागों/divisions/ offices etc के अधीन किन विभागों में कंप्यूटर ओपरेटर या डाटा इन्ट्री ओपरेटर(DATA ENTRY OPERATOR) की Sanctioned Post नहीं है परन्तु उस विभाग कंप्यूटर ओपरेटर या डाटा इन्ट्री (DATA ENTRY OPERATOR) काम कर रहे हैं कृपया उनकी नियुक्ति कैसे हुई के बारे में विस्तार से विवरण सहित बताएं और (Photocopy) उपलब्ध कराये।</p>	<p>आवश्यकतानुसार DEO की सेवाएँ Service Provider के माध्यम से ली जाती हैं।</p>
12	<p>कृपया बताएं कि Department of personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के अधीन कार्यरत विभाग जैसे विभागों /divisions/ offices etc के अधीन किन विभागों में कंप्यूटर ओपरेटर या डाटा इन्ट्री ओपरेटर(DATA ENTRY OPERATOR) की Sanctioned Post नहीं है परन्तु उस विभाग कंप्यूटर ओपरेटर या डाटा इन्ट्री (DATA ENTRY OPERATOR) काम कर रहे हैं विभाग द्वारा उनको दि जा रही सुविधाएँ (Any type of leave and financial and others, Salary/Bonos etc with breakup) विस्तार से विवरण सहित बताएं और प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।</p>	<p>इस संस्थान में कंप्यूटर ओपरेटर या DEO का कोई स्वीकृत पद नहीं है। आवश्यकतानुसार उनकी सेवाएँ सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से दी जाती हैं।</p>

13	<p>कृपया बताएं कि Department of personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागों /divisions/ offices etc के अधिन किन विभागों में कंप्यूटर ओपरेटर या डाटा इन्ट्री औपरेटर(DATA ENTRY OPERATOR) की Sanctioned Post कम है परन्तु उस विभाग कंप्यूटर ओपरेटर या डाटा इन्ट्री औपरेटर(DATA ENTRY OPERATOR) ज्यादा काम कर रहे हैं उन विभाग द्वारा उनको दि जा रही सुविधाएं (Any type of leave and financial and others, Salary/Bonos etc with breakup) विस्तार से विवरण सहित बताएं और प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।</p>	<p>इस संस्थान में कंप्यूटर औपरेटर या DEO का कोई स्वीकृत पद नहीं है। DEO की सेवाएँ बाहरी स्रोत से ली गई हैं। सेवाप्रदाता न्यूनतम वेतन के आधार पर DEO उपलब्ध कराते हैं।</p>
14	<p>कृपया बताएं कि Department of personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागों /divisions/ offices etc के अधिन किन विभागों में काम कर रहे Sanctioned Post नहीं है परन्तु उस विभाग कंप्यूटर ओपरेटर या डाटा इन्ट्री औपरेटर(DATA ENTRY OPERATOR) काम कर है विभागों द्वारा उनको दि जा रही सुविधाएँ Sanctioned Post कम है परन्तु उस विभाग कंप्यूटर ओपरेटर या डाटा इन्ट्री औपरेटर(DATA ENTRY OPERATOR) ज्यादा काम कर रहे हैं उन विभाग द्वारा उनको दि जा रही सुविधाएं (Financial and others, Salary/Bonos etc with breakup) विस्तार से विवरण सहित बताएं और प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।</p>	<p>Same as answer provided in question no 12</p>
15	<p>कृपया बताएं कि Department of personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागों /divisions/ offices etc कितने कंप्यूटर ओपरेटर या डाटा इन्ट्री औपरेटर(DATA ENTRY OPERATOR)संविदा (contract) पर विभाग द्वारा direct appoint है संख्या बताएं व प्रतिलिपि दे। किस आधार पर इनकी नियुक्ती की गई तो उनकी भर्ती की प्रक्रिया क्या थी और इनको दि जाने वाली वित्तिय व अन्य सुविधाएं का विवरण सहित बताएं तथा प्रतिलिपि दे। उस विज्ञापन की प्रतिलिपि उपलब्ध कराएँ जिसके द्वारा कथित कंप्यूटर आपरेटरों या डाटा</p>	<p>इस संस्थान में कोई भी DEO की सीधी भर्ती नहीं की गई उनकी सेवाएँ सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा प्रदान की जाती हैं।</p>

	<p>औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) की नियुक्ती की गयी थी। इन कंप्यूटर आपरेटरों को किन नियम व शर्तों के आधार पर नियुक्त किया गया विवरण सहित बताए तथा प्रतिलिपि दे।</p>	
16	<p>संविदा (contract) पर आधारित कार्यरत कंप्यूटर आपरेटर या डाटा डाटा इन्टरी औपरेटर(DATA ENTRY OPERATOR) की नियुक्ति NIELIT/DOFACC and any third party/agency या ठेकेदारों द्वारा रखे गए है उनकी संख्या व कब से रखे गये है समय भी बताए तथा किन नियम व शर्तों के अंतर्गत नियुक्त किया गया। विज्ञापन/नियुक्ति सम्बन्धी करार की प्रतिलिपि व विवरण सहित बताए व उपलब्ध कराए।</p>	<p>इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न 7 में दिया गया है।</p>
17	<p>संविदा (contract) पर आधारित कार्यरत कंप्यूटर आपरेटर या डाटा डाटा इन्टरी औपरेटर(DATA ENTRY OPERATOR) की नियुक्ति NIELIT/DOFACC या अन्य किसी एजेंसी या ठेकेदारों के द्वारा संविदा पर नियुक्त किये गये कंप्यूटर औपरेटरों या डाटा इन्टरी औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) में से किसी को Department of personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के अधीन कार्यरत विभाग जैसे विभागों /divisions/ offices etc ने अपने पेरोल या स्थाई तोर पर रखा है? यदि हों तो उसकी प्रति उपलब्ध कराए।</p>	<p>इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न संख्या 15 में दिया गया है।</p>
18	<p>क्या Department of personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के अधीन विभिन्न विभागों /divisions/ offices etc में कंप्यूटर औपरेटर या डाटा इन्टरी औपरेट(DATA ENTRY OPERATOR) की कई श्रेणियाँ है? यदि हों तो उन्हे किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। प्रति उपलब्ध कराए।</p>	<p>जो श्रेणियाँ Government of NCT of Delhi के द्वारा निर्धारित की गई है उन्ही में से इस संस्थान की आवश्यकतानुसार DEO की सेवाएँ सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से ली जा रही है।</p>
19	<p>Department of personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के अधीन कार्यरत विभाग विभागों जैसे विभागों /divisions/ offices etc में संविदा पर नियुक्त कंप्यूटर औपरेटर या डाटा इन्टरी औपरेट(DATA ENTRY OPERATOR) को किस आधार पर वेतन मिलता है</p>	<p>इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न संख्या 18 में दिया गया है।</p>

	तथा इनकी वेतन बढ़ोतरी किस आधार पर होती है और इनका वर्तमान वेतन दिनांक-01-10-2015 को कितना है। इन सबकी प्रति उपलब्ध कराए Salary Backup सहित।	
20	संविदा पर नियुक्त कंप्यूटर औपरेटर या डाटा इन्ट्री औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) को किस प्रकार के भत्ते सुविधाएं Department of personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के अधीन कार्यरत विभाग जैसे विभागो /divisions/offices etc द्वारा दिए जा रहे हैं विवरण सहित बताएं तथा प्रतिलिपि दें। जैसे किसी भी प्रकार की छुटी/भत्ता या कोई और financial and other facility दी जा रही विवरण सहित बताएं तथा प्रतिलिपि दें।	Same as per answer given at question no 18.
21	Department of personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के अधीन कार्यरत विभाग जैसे विभागो /divisions/offices etc में संविदा पर नियुक्त कंप्यूटर औपरेटर या डाटा इन्ट्री ओपरेट (DATA ENTRY OPERATOR) को अगर अपने कार्यस्थल आने या जाने पर तथा विभागीय कार्य करने में कोई Accident या अनहोनी होने पर विभागो द्वारा दी जाने वाली किसी भी प्रकार की facility का हवाला दें विवरण दें तथा पूर्व में किसी को दी गई है तो विवरण सहित प्रतिलिपि दें। अगर नहीं तो क्यों नहीं उस नियम का भी पूर्ण विवरण दें तथा वजह बताएं तथा प्रतिलिपि दें।	Same as per answer given at question no 18.
22	Department of personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के अधीन विभाग जैसे विभागो /divisions/offices etc में संविदा पर नियुक्त कंप्यूटर औपरेटर या डाटा इन्ट्री औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) की Salary/ agreement/ Facility/Any type Bonus/Last and latest Salary increment and any facility की प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं।	Same as per answer given at question no 18.

23	<p>Department of personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के अधीन विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc में संविदा पर नियुक्त कंप्यूटर औपरेटरों या डाटा इन्टरी औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) को कितने समय के लिए रखे गए हैं तथा प्रतिलिपि उपलब्ध कराए। विभागो द्वारा इनका अनुबंध आखिरी बार कितने समय के लिए बढ़ाया गया है। उसकी प्रति उपलब्ध कराए।</p>	Same as per answer given at question no 18.
24	<p>Department of personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के अधीन विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc में संविदा पर नियुक्त कंप्यूटर औपरेटरों या डाटा इन्टरी औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) को स्थायी करने के लिए क्या कोई प्रावधान है तो प्रति उपलब्ध कराए।</p>	लागू नहीं होता ।
25	<p>Department of personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के अधीन विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc में संविदा पर नियुक्त कंप्यूटर औपरेटरों या डाटा इन्टरी औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) को स्थायी नहीं करने में आ रही अडचन या नियम व कनून तथा विसंगतियों का विवरण दे तथा प्रतिलिपि उपलब्ध कराए।</p>	लागू नहीं होता ।
26	<p>क्या कभी Department of personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के अधीन विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc में संविदा पर नियुक्त इन कंप्यूटर औपरेटरों या डाटा इन्टरी औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) को स्थायी किया गया है। यदि हाँ तो विवरण दे तथा प्रतिलिपि उपलब्ध कराए।</p>	लागू नहीं होता ।
27	<p>Department of personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के अधीन विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc में November 2015 तक कितने Computer operator या डाटा इन्टरी औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) संविदा (contract) की आवश्यकता विभागो के अनुसार है विवरण द्वारा बताए।</p>	<p>इस संस्थान में कोई DEO संविदा पर नहीं है परंतु आवश्यकता पडने पर सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से DEO की सेवाएँ ली जाती है जो कार्यानुसार समय समय पर परिवर्तित होती रहती है ।</p>

28	<p>Department of personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के अधीन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc में January 2015 के बाद अब तक कितने Computer operator या डाटा इन्ट्री औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) संविदा (contract) पर लगाए गए उनकी सूची दिनांक सहित बताए तथा प्रति उपलब्ध कराए।</p>	<p>इस संस्थान में संविदा पर कोई DEO नहीं लगाये गये है ।</p>
29	<p>Department of personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के अधीन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc में क्या कंप्यूटर औपरेटर या डाटा इन्ट्री औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) की Sanctioned Post है। कृप्या किस विभाग में कितनी है का विवरण दे व प्रतिलिपि दे।</p>	<p>इस संस्थान में DEO का कोई भी स्वीकृत पद नहीं है ।</p>
30	<p>Department of personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के अधीन विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc में संविदा पर आधारित कंप्यूटर औपरेटर या डाटा इन्ट्री औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) को किस आधार पर वेतन दिया जाता है। उसकी प्रति उपलब्ध कराए।</p>	<p>Same as reply given at question no 18</p>
31	<p>Department of personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के अधीन विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc में संविदा/अस्थाई कंप्यूटर औपरेटर को Graduate & Non graduate के आधार पर वेतन दिया जाता है। प्रति उपलब्ध कराए।</p>	<p>Same as reply given at question no 18</p>
32	<p>Department of personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के अधीन विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc में अगर संविदा/अस्थाई कंप्यूटर औपरेटर या डाटा इन्ट्री औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR)की Sactioned Post नहीं है तो किस आधार पर और कितना वेतन दिया जाता है विवरण सहित बताए तथा प्रति उपलब्ध कराए।(Break up)सहित।</p>	<p>DEO की सेवाए सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से ली जाती है और वह अपने सभी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करते है ।</p>

33	<p>क्या Department of personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के अधीन विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc में अगर संविदा/अस्थाई कंप्यूटर औपरेटर या डाटा इन्ट्री औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) को minimum wages के आधार पर वेतन दिया जाता है यदि नहीं तो क्यों विवरण सहित बताए तथा प्रति उपलब्ध कराए। यदि हाँ तो भी विवरण सहित बताए तथा प्रति उपलब्ध कराए।</p>	<p>सर्विस प्रोवाइडर अपने कर्मचारियों को Government of NCT of Delhi Minimum wages act के अनुसार वेतन देने के लिए बाध्य है ।</p>
34	<p>Department of personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के अधीन विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc में अगर संविदा/अस्थाई कंप्यूटर औपरेटर या डाटा इन्ट्री औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR)की Sactioned Post कितनी है तथा कितने कार्यरत है तथा उनमें कितने स्थाई है तथा कितने अस्थाई है विभागीय विवरण सहित प्रति उपलब्ध कराए।</p>	<p>इस संस्थान में DEO की कोई भी Sactioned Post नहीं है ।</p>
35	<p>क्या Department of personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के अधीन विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc में अगर संविदा/अस्थाई व Guest Teacher (2014-15 & 2015-16) की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो गई तथा उनको स्थाई करने का क्या कोई पहल या प्रवधान या Proposal/Scheme/file बन रही है या चल रही है उनके आधार पर विवरण सहित प्रति उपलब्ध कराए।</p>	<p>इस संस्थान पर लागू नहीं होता ।</p>
36	<p>क्या Department of personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के अधीन विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc में संविदा/अस्थाई कर्मचारी को पूर्व में स्थाई किया किया गया है या किया जा रहा है दोनो ही स्थिति में बताए कि किस प्रावधान व नियम के तहत इन्हें स्थाई किया गया है या किया जा रहा है। प्रति उपलब्ध कराए।</p>	<p>इस संस्थान से संबंधित नहीं है ।</p>
37	<p>क्या Department of personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के अधीन विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc में संविदा/अस्थाई कंप्यूटर औपरेटर या डाटा इन्ट्री औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) को क्या कभी स्थाई किया है या किया जा रहा है तो स्थायीकरण(Regular) के लिय क्या प्रक्रिया अपनाई गई है बताए तथा किस प्रावधान के तहत इन्हें स्थाई</p>	<p>इस संस्थान से संबंधित नहीं है ।</p>

	किया जा रहा है व रूल, पोजीशन/नियम भी बताए प्रतिलिपि उपलब्ध कराए।	
38	सविदा पर नियुक्त किसी भी श्रेणी के अस्थायी कर्मचारी को स्थाई करने के लिए Department of personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India या इसके अधीन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc ने क्या मापदंड रखे गए बताए तथा किस प्रकार के आयोजन किये गए जैसे: Test/Interview/Age Relaxation/ Education Qualification/ Technical Qualification/ Working period in department (experience) etc विस्तार सहित विवरण बताए तथा प्रति दे।	इस संस्थान पर लागू नहीं होता।
39	क्या Department of personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के अधीन विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc में DSSSB/SSC and any govt. selection body/board etc., excep his own department (जहाँ वे काम कर रहा है) के बिना भी किसी भी कर्मचारी को स्थाई कर सकता है या करने में सक्षम है तो रूल पोजीशन/नियम व ओडर की कोपी दे और बताए अगर ऐसा किसी विभाग द्वारा किया गया है तो कब तथा किस आधार पर नियम विवरण सहित बताए तथा प्रति उपलब्ध कराए।	इस संस्थान से संबंधित नहीं है।
40	Department of personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India या इसके अधीन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc में कुल कितने अस्थाई व स्थाई कर्मचारी कार्य कर रहे हैं या कार्य कर चुके हैं October 2015 तक पद सहित संख्या बताए तथा उन कर्मचारीयों की नियुक्ती कब और किस प्रकार से हुई है बताए तथा प्रतिलिपि दे।	इस संस्थान में स्वीकृत पदों की संख्या 99 है। और यहाँ पर कोई अस्थाई कर्मचारी नहीं है। प्रतिलिपि संलग्न है।
41	Department of personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के अधीन विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc में sanction post create करने के लिए क्या प्रवाधन आधार नियम विवरण सहित बताए तथा प्रतिलिपि उपलब्ध कराए। अगर किसी विभाग में sanction post नहीं है तो क्या विभाग द्वारा sanction post create करने के लिए कोई समय सीमा है तो बताए	यह संस्थान वित्त मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी किये गये नियमों के आधार पर ही इस संबंध में कार्यवाही करता है। प्रति संलग्न है।

Enclosure for question No. 40

Institute of Secretariat Training and Management

S. No.	Name of the post	Sanctioned Strength
1.	Director	01
2.	Additional Director	01
3.	Joint Director	04
4.	Deputy Director	15
5.	Assistant Director	08
6.	Deputy Director (OL)	01
7.	Assistant Director (OL)	01
8.	Section Officer	02
9.	Assistant Section Officer (ASO)	04
10.	Senior Secretariat Assistant (SSA)	05
11.	Junior Secretariat Assistant (JSO)	02
12.	Private Secretary	04
13.	St. Grade C	06
14.	St. Grade D	06
15.	Training Associate	03
16.	AL&IO	01
17.	Draftsman	01
18.	Library Attendant	01
19.	Senior Hindi Translator	01
20.	Junior Hindi Translator	01
21.	Staff Car Driver	03
22.	TEO	01
23.	MTS (JGO-01 Daftry-01 PEON- 11 FARASH-03 SAFAIWALA-06 CHOWKIDAR-05)	27

Ms F-7-E, Controller
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

New Delhi, the 3rd May, 1984

OFFICE MEMORANDUM

Subject: *to* - *abolition of administrative establishments of the Government.*

Item - *creation of posts/filling up of vacancies.*

Guidelines for processing of cases.

The undersigned is directed to refer to His Ministry's O.M. No. F-7 (E)-Contd/84 dated the 20th June, 1984 as amended from time to time on the subject indicated above and to state that instructions already exist for ban on creation/filling up of posts and the procedure for creation thereof in exceptional circumstances. Some doubts which arose in this regard were also clarified from time to time. Further clarifications are, however, being sought by various Ministries/Departments etc. regarding the following two points. The matter has been considered in this Ministry and the correct position is clarified below against each point:—

POINTS

CLARIFICATIONS

1. Whenever higher level posts are abolished, whether junior level posts are also to be abolished as a consequence or not.

Yes, whenever higher level posts are abolished, it will be necessary to abolish (personnel/supporting staff of that higher level posts) simultaneously. In addition, it will also be desirable to have a work study conducted to determine what other level posts and its number of lower level posts would be required as a result of abolition of the higher posts.

2. If a post is vacant or held in abeyance for some time, whether the post can be filled up or revived, in the case may be, by the administrative Department/Ministry.

If a post is held in abeyance or remains unfilled for a period of one year or more, it would be deemed to be abolished. Integrated Finance of each Ministry/Department may monitor abolition of such posts and ensure that abolition orders are issued within one month of the post remaining unfilled/held in abeyance for the period of one year. If the post is required subsequently, the prescribed procedure for creation of new posts will have to be followed, as before, as usual.

GROUP 'A' POSTS

Approval of Finance Minister will be required.

GROUP 'B', 'C' & 'D' POSTS

May be created with the approval of Secretary of the administrative Ministry/Department provided—

- (a) Expenditure on establishment is within 10% of the project cost;
- (b) The posts to be created are in conformity with the prescribed norms; and
- (c) Group 'A' posts, if necessary, have been approved by the Finance Minister.

NON-PLAN POSTS

10. GROUP 'A' POSTS OF AND ABOVE THE LEVEL OF JOINT SECRETARIES (Rs. 5900-6700)

May be created with the approval of Cabinet after obtaining the approval of Finance Minister.

11. GROUP 'A' POSTS BELOW THE LEVEL OF JOINT SECRETARY AND GROUP 'B', 'C' & 'D' POSTS.

May be created with the approval of Finance Minister.

Creation/filling up of posts both Plan and Non-Plan is to be done after the posts which have been found surplus as a result of review, have been abolished.

Creation of Non-Plan posts in which savings are required, which should be by way of deletion of posts to the same group or of posts at the immediate level of promotion.

Posts which are found justified on the basis of workload and functional justification can only be created.

All Ministries and Departments are requested to kindly note the above clarifications for strict compliance, particularly in view of the need for adopting necessary measures for controlling Government expenditure in the present economic scenario. They may also issue instructions to their attached and subordinate offices (including C.T. Admn.) and ensure compliance. Autonomous Bodies under the control of Ministries/Departments may also be asked to follow the same clarifications in their institutions.

(3. Final version is attached)


D. Somraj
Joint Secretary to the Govt. of India.

Ministry of Finance
Department of Expenditure
New Delhi, India

New Delhi, the 3rd May, 1995.

PROPOSALS FOR CREATION OF POSTS

Sub: Creation of posts - in regard to creation/
abolition of posts in all posts.

The undersigned is directed to refer to this
Ministry's G.O.No. 1011-1-1994/(Board)/94 dated 28.5.94 on
the subject indicated above and to clarify below the
order of procedure and the latest instructions/practice
for creation/abolition of high level posts:-

Consolidation:

Proposals for continuance of posts of Secretaries,
Special Secretaries, Additional Secretaries and equivalent
posts are required to be referred to the Department of
Expenditure on file through IPD for examination/approval
of the Secretary(P), Secretary(Personnel) and Cabinet
Secretary. For continuance of the Secretary level posts
approval of the P.M. has also to be obtained by the
administrative Ministry after Cabinet Secretary has cleared.
This need not be referred through the Ministry of Finance.

Creation:

(1) Proposals for creation of non-Plan posts of
Secretaries, Special Secretaries, ADDITIONAL Secretaries,
Joint Secretaries or equivalent require the approval of
the Cabinet (after entering matching savings by abolition
of posts of the same grade or in immediate line of
promotion) and IPD. In such cases administrative Ministries
are required to prepare a draft Note for the Cabinet and
refer the same to the Department of Expenditure for exami-
nation and getting approval of the Finance Minister before
the same is submitted by the administrative Ministry
(after incorporating views of Finance Ministry) to the
Cabinet for approval.

(2) The proposals for creation of Plan posts of
Secretaries, and Special Secretaries first require the approval
of Cabinet and the administrative Ministry is required to
prepare a draft Note for the Cabinet and refer the same
(after getting the approval of EPU/PIB to the Scheme) to
the Department of Expenditure for examination and getting
approval of Finance Minister before the same is submitted
by the administrative Ministry (after incorporating views
of Finance Ministry) to the Cabinet for approval. Plan
posts of Additional Secretaries, Joint Secretaries or
equivalent posts could be created with the approval of the
Finance Minister and proposals in this regard are required
to be sent to the Department of Expenditure on file
along with other level posts, if any, after EPU/PIB's
approval of the Scheme. The IPD procedure details/infor-

Ministry of Finance
New Delhi, the 24th January 2006

New Delhi, the 24th January 2006


OFFICE MEMORANDUM

Subject: Ban on creation of posts in field offices for processing cases.

1. In the Ministry of Finance, New Delhi, a DM No. 7214/Coord-907 dated 23rd January 2005 regarding "Guidelines for Management of Economy measures" of the Ministry of Finance, New Delhi, for regularization of revenues. In para 8 of the DM No. 7214/Coord-907, it has been instructed that there shall be a ban on creation of posts in field offices for processing cases. Any unavoidable proposals for creation of posts in field offices for processing cases will continue to be referred to the Ministry of Finance, New Delhi, for approval. The proposals would necessarily have to be accompanied by matching savings from other posts in the field offices, such as cleaning, maintenance, etc. This is encouraged.

2. The Finance has been receiving various proposals for creation of posts from different Ministries/Departments. A perusal of the proposals reveal that often such proposals are incomplete and do not contain critical details such as name, designation, pay scale, recruitment mode, recruitment rules of the posts and so on. Moreover, details of existing posts, such as the existing hierarchy, sanctioned and existing posts, category, etc., including date of vacancies, posts abolished in the last five years, etc., are not given. In view of the implementation of Expenditure Reform Commission (ERC) recommendations, functional justification, matching savings, possibility of reducing recruitment, etc., which are absolutely imperative for approval of the proposals, the absence of such details leads to back references and delays.

3. Keeping the above in view, a comprehensive checklist has now been devised taking into account the latest government orders on the subject. All Ministries/Departments are requested to refer their proposals for creation of posts complying with the new checklist enclosed to avoid any further delays and obviate delays. It may be noted that any proposals which do not comply with the checklist should be returned. The proposals may be referred to the concerned Department/Ministry.


Chandrabha Mittal
Director (Pay)
Tele: 2309 2907

To

- (i) All Ministries/Departments
- (ii) All Ministries/Departments of the Government of India

8. List of minimum 25 minimums furnished with cases for creation of posts.

The PO

1. Unit No. (Date) - 10/1/2019
2. by name of the PO
3. name of person who is
4. details regarding the person who is the holder of the post
5. name of the person who is the holder of the post by name only
6. how many persons are there in the category of the person who is the holder of the post
7. name and address of the person who is the holder of the post for each position
8. details of the person who is the holder of the post
9. signature of the person who is the holder of the post
10. date of the signature
11. name of the person who is the holder of the post
12. name of the person who is the holder of the post
13. Address of the person who is the holder of the post
14. details of the person who is the holder of the post


The Organization

1. Name of the organization
2. Details of the person who is the holder of the post
3. Details of the person who is the holder of the post
4. Details of the person who is the holder of the post
5. Where the person who is the holder of the post is working
6. Details of the person who is the holder of the post for the last five years under various categories like (a) deputation, (b) transfer, (c) promotion, (d) other, (e) other, (f) other, (g) other, (h) other, (i) other, (j) other, (k) other, (l) other, (m) other, (n) other, (o) other, (p) other, (q) other, (r) other, (s) other, (t) other, (u) other, (v) other, (w) other, (x) other, (y) other, (z) other
7. Possible date of the person who is the holder of the post
8. Matching person with the post, which are to be surrendered
9. Details of the person who is the holder of the post
10. Additional details of the person who is the holder of the post

	तथा इससे सम्बंधित कोई भी नियम व Rule position बताए व प्रतिलिपि उपलब्ध कराए।	
42	Department of personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के अधीन विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc में संविदा/अस्थाई(Direct engaged by Department) कंप्यूटर औपरेटर या डाटा इन्ट्री औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) या कोई भी श्रेणी के कर्मचारी जो पिछले 05 सालो से भी अधिक समय से विभाग में कार्य कर रहे हैं उनका क्या Future है तथा क्या उनके लिए कोई Proposal/File है या बन रही है तो बताए व प्रतिलिपि उपलब्ध कराए	ऐसा कोई प्रपोजल/फाइल नहीं है।
43	Department of personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के अधीन विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc में संविदा/अस्थाई(Direct engaged by Department) कंप्यूटर औपरेटर या डाटा इन्ट्री औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) कोई भी श्रेणी के कर्मचारी को नियमित या कुछ सुविधाए बढ़ाने जैसे किसी भी प्रकार के वित्तिय भत्ते आदि के लिए कोई Proposal/File बनी थी या चल रही हैं दोनो ही स्थिती में विस्तार से बताए व प्रतिलिपि उपलब्ध कराए।	There is no such proposal in this Institute.
44	Contractual employees के लिए क्या क्या प्रावधान या किस प्रकार के नियम हैं व एक्ट है तथा उन्हे किस तरह के सुविधाए दी जाती है के बारे विस्तार से बताए व प्रतिलिपि उपलब्ध कराए।	इस संस्थान में DEO को संविदा पर रखने के लिए कोई भी नियम/ एक्ट इस संस्थान के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।
45	अगर Department of personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के किसी विभाग (divisions/offices etc) द्वारा प्रावधान या नियम व एक्ट तथा सुविधाएँ ना लागू हो तो उसे लागू करवाने के लिए किस प्रकार के नियम है व प्रवधान है तथा उस विभाग पर किस तरह कि कार्यवाही की जा सकती है के बारे में विस्तार से बताए व प्रतिलिपि उपलब्ध कराए।	DEO को संविदा पर रखने के लिए कोई भी विशेष प्रावधान नहीं है। अतः इस संस्था पर लागू नहीं होता।
46	कृप्या बताए कि Department of personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के किसी विभाग (divisions/offices etc) में किसी भी पद पर कार्य कर रहे Contractual employees जिसकी उस विभाग में Sanctioned Post नहीं है तो किसी वर्ग के Contractual employees को तो minimum wages दें और	ऐसे नियम की जानकारी इस संस्थान को नहीं है

	दूसरे वर्ग के Contractual employees को minimum wages से ज्यादा देना है किस नियम के तहत विस्तार से बताएं व प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं।	
47	कृपया बताएं कि Department of Personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के किसी विभाग (divisions/office) में किसी भी पद पर कार्य कर रहे Contractual employees जिसकी उस विभाग में sanctioned Post नहीं है और विभाग द्वारा किसी NIELIT/DOEACC या अन्य एजेंसी या ठेकेदारों के द्वारा संविदा पर नियुक्त Contractual employees को विभाग द्वारा Matrimonial and PF facility with third party company provision तो दे सकता है परन्तु अधिन कार्य कर रहे कर्मचारी को सिर्फ minimum wages ही देना है क्या ऐसा कोई नियम या कानून है तो इस नियम या कानून के तहत विस्तार से बताएं व प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं।	ऐसे नियम की जानकारी इस संस्थान को नहीं है
48	बताएं कि अगर सरकारी विभाग द्वारा संविदा पर अधारित कर्मचारीयों को सालों से काम जा रहा है। कृपया बताएं कि हमारे संविदा पर 10 साल से भी अधिक समय से कार्य कर रहे कर्मचारीयों को क्या-क्या सुविधाएं दी जा सकती है तथा हमारे लिए किस तरह के कानून है विस्तार से बताएं व प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं।	ऐसे नियम/ कानून इस संस्थान में उपलब्ध नहीं है ।
49	कृपया बताएं कि Department of Personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के किसी विभागों में कार्य कर रहे संविदा/Contractual employees) engaged third party/contractor/NILELIT/DOEACC कार्यरत कर्मचारीयों जैसे(computer operator/data entry operator) को Department of Personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India में क्या वर्तमान में कभी अपने पेरोल/Contract पर रखा है तो उनकी सूची की प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं।	Computer Operator/Data Entry Operator को पूर्व में या वर्तमान में कभी अपने पेरोल/Contract पर नहीं रखा है ।

50	कृपया बताएं कि Department of Training Ministry of Personnel, Grievances and Pensions, Government of India क्या कोई ऐसा नियम या Policy है कि कितने समय के लिए संविदा/अस्थाई तौर पर रख सकता है?	Personnel & Public India में कोई विभाग तौर पर रख	इस संस्थान के कार्यक्षेत्र में नहीं होता ।
51	कृपया बताएं कि Department of Training Ministry of Personnel, Grievances and Pensions, Government of India क्या कोई ऐसा नियम व Policy है कि उस वर्ग (post) के कर्मचारी संविदा/अस्थाई तौर पर रख सकते हैं जो पास उस वर्ग (post) की Sanctioned Post नहीं है। कृपया बताएं।	Personnel & Public India में कोई विभाग तौर पर रख सकते हैं।	इस संस्थान में ऐसे कोई भी नियम और पॉलिसी उपलब्ध नहीं होता ।
52	कृपया बताएं कि Department of Training Ministry of Personnel, Grievances and Pensions, Government of India किस नियम व Policy के तहत Ministry, Board, Office अपने बिना किसी Sanctioned Post के तौर पर कर्मचारी को रखता है जो Sanctioned Post बनाए बिना क्या इसकी कोई समय सीमा है और यह भी बताएं कि क्या ऐसा नियम विभाग, Ministry, Board, Office के समय सीमा के अन्दर उस वर्ग (post) पर करना होता है। कृपया प्रतिक्रिया दें।	Personnel & Public India में कोई विभाग तौर पर रख सकते हैं।	इस संस्थान में ऐसे कोई भी नियम और पॉलिसी उपलब्ध नहीं होता ।


 (मलय सान्याल)
 उप निदेशक (प्रशासन)

श्री एच गोविन्द,
 उप निदेशक एव सी0पी0आई0ओ0